APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर

कूपाराम पु. देवाराम मेघवाल निवासी [illegible] बनाम सुवाराम पु. देवाजी कौम मेघवाल नि. [illegible], तहसील आहोर

किस्म मुकदमा U/s 53,188 R.T. Act 24/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-2-16	वादी अमर विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा बाबत बेदखल व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये समन तलब होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 7-4-16 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर (जिला-जालोर)	
7-4-16	वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी नं. 3, 6, 7 समन तामील के बावजूद भी गैर हाजिर रहे हैं अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु [illegible] समन जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 19-5-16 को पेश हो। [signature]	
6-5-16	वकील वादी हाजिर। प्रतिवादीगण हाजिर। [illegible] वकालत के निस्तारण हेतु आइन्दा दिनांक 22-6-16 को [illegible] पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। अपील वादी अनुपस्थित। मि. डी.एल.आर. रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित जमाबन्दी का स्वामित्व पत्रावली शामिल है। पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 30-10-19 को अन्तिम डिक्री आदि हेतु पेश हो। [signature]	
30-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महो. राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 22-11-19 को पेश हो। [signature]	
22-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। अन्तिम निर्णय आदेश पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा RAS

राजस्व वाद संख्या 24/2016

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

कूपाराम पुत्र देवारामजी कौम मेघवाल, निवासी घाणा, तहसील आहोर जिला जालौर

1. सवाराम पुत्र देवाजी
2. रतनाराम पुत्र देवाजी
3. छोगाराम पुत्र चिमनाजी
4. पोकर पुत्र जेठाजी फौत के कायम मुकाम –
   4/1. प्रकार पुत्र पोकरजी
   4/2. श्रवण पुत्र पोकरजी
   4/3. भागु पत्नि पोकरजी
   4/4. कान्ता पुत्रीपोकरजी
   4/5. कविता पुत्री पोकरजी
   4/6. उर्मीला पुत्री पोकरजी
   ना. बालिक वली माता भागु देवी
5. पतीया पुत्र लक्ष्मणा फौत के कायम मुकाम –
   5/1. मतरा पत्नि पतीया
   5/2. रणछोडा पुत्र पतीया
   5/3. नेमाराम पुत्र पतीया
   5/4. बाबूलाल पुत्र पतीया
   5/5. चेनाराम पुत्र पतीया
   कौम सरगरा, निवासीगण घाणा, तहसील आहोर जिला जालोर (राज.)
6. भीमाराम पुत्र राजाराम
7. बाबुलाल पुत्र भैराराम कौम मेघवाल, निवासीगण घाणा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

तहसील जालोर, जिला जालौर

8\. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार आहोर

दावा बाबत् बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल चौधरी वकील वादी

तहसीलदार आहोर प्रतिवादी संख्या 8

निर्णय

दिनांक :– 22-11-19

वादी द्वारा दावा बाबत् बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करने पर वाद सुनवाई कर प्राथमिक डिक्री जारी कर पत्रांक/कोर्ट /17/914 दिनांक 15/03/2018 के जरिये तहसीलदार आहोर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये /तहसीलदार आहोर द्वारा पत्रांक / भू. अ./18/1449 दिनांक 30/04/2018 के संलग्न मौजा घाणा के खसरा नम्बर 1319, 1321 कुल रकबा 5.26 हैक्टर के विभाजन प्रस्ताव पेश करने पर शामिल मिसल किये गये । प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर दोनो पक्षो द्वारा किसी प्रकार की आपति पेश नही किये जाने से दावा डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार आहोर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के माफिक दावा डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव को इस निर्णय का अभिन्न अंग समझा जावें। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है, कि पक्षकारान् एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही किसी से करवाये। तहसीलदार आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रशान्त शर्मा RAS)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मकद्वमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(CiVil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर महोदय, मुकाम आहोर
व इजलास श्री प्रशान्त शर्मा RAS

कूपाराम पुत्र देवारामजी बनाम सवाराम पुत्र देवाराम

दावा बाबत् बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकद्वमा नं 24 सन् 2016

यह मुकद्वमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकाराण व हाजरी श्री मांगीलाल चौधरी वादी वकील मिनजारिब मुद्यई व तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 08 मिनजानिब मुद्यायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि – तहसीलदार आहोर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के माफिक दावा डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव को इस निर्णय का अभिन्न अंग समझा जावें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि पक्षकारण एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें। तहसील आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। लीज.............मुबलिग......X......बाबत् ..... .X.....खर्चा इस मकदमें के सूद व शरह ....X......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X......... को अदा करें ।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालतके आज तारीख22 माह 1/ सन् 2019 को जारी की गई ।

दस्तखत............................

ओहदा ...सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

मुहर

मुद्दई	रूपया पै.	मुद्दायलाह	रूपया पै.
स्टाम्प अरजीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहाना	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय	
बाबत् इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा मुतफरिक		मुतफरिक	
मीजान		मीजान	

नोट : - इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner